न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील / 52 / 2019

अपींलाट देवाराम पुत्र मूलाराम
निवासी ब्राहमणों की गली, शास्त्री नगर बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 07.01.2020

अपीलार्थी देवाराम पुत्र मूलाराम निवासी ब्राहमणों की गली, शास्त्री नगर बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 19.07.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर / पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 921278 दिनांक 18.06.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के आवेदन पत्र का जवाब जरिए पत्र क्रमांक 1048 दिनांक 03.10.2019 भिजवाया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना की विशिष्टियां स्पष्ट अंकित नहीं किये जाने से वांछित दस्तावेजों से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध होना संभव नहीं है, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली संख्या अथवा प्रकरण संख्या की विशिष्टियां स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये जाने से पत्रावली को ढूंढने में अनावश्यक श्रम लगने की आशंका के फलस्वरूप प्रार्थी को सूचित किया गया हैं कि वे कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख का निरीक्षण करें व वांछित दस्तावेजों की विशिष्टियां सहित अवगत करावें ताकि सूचना दी जा सकें। इस प्रकार अधिनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 10:48:12 IST
Reason: SelfAttested